न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

अपील सं0 41/2017 दिनांक : 19.09.2017

1. धर्मपाल दत्तक पुत्र स्व. देवीलाल जाति जाट निवासी रावतसर हाल निवासी चक 6 बी.पी.एस.एम. जीवननगर रावतसर।

– अपीलांट

बनाम्

1. जीवनी देवी पत्नी स्व. देवीलाल पुत्री रामरख जाति जाट निवासी रावतसर हाल निवासी चक 6 बी.पी.एस.एम. जीवननगर रावतसर।
2. चानणराम पुत्र स्व. अन्नाराम जाति जाट निवासी चक 6 बी.पी.एस.एम. जीवननगर रावतसर।
3. रामचन्द्र
4. रामकुमार
5. जयनारायण
6. जयसिंह
7. मोटाराम

   पि. रूपाराम जाति जाट निवासी चक 6 बी.पी.एस.एम. जीवननगर रावतसर।
8. गुड्डी देवी पत्नी स्व. मोहनलाल जाति जाट निवासी चक 6 बी.पी.एस.एम. जीवननगर रावतसर।
9. राजेन्द्र
10. दुलीचन्द
11. ईमीचन्द
12. हंसराज

    स्व. मोहनलाल जाति जाट निवासी चक 6 बी.पी.एस.एम. जीवननगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
13. टिकमा देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र कुरडाराम सहारण पुत्र स्व. मोहनलाल जाति जाट निवासी निरवाल तहसील रावतसर।
14. विमला पत्नी प्रेमकुमार पुत्र कुरडाराम सहारण पुत्र स्व. मोहनलाल जाति जाट निवासी निरवाल तहसील रावतसर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ)

15. काशीराम पुत्र स्व. अन्नाराम जाति जाट निवासी चक 6 बी.पी.एस.एम. जीवननगर रावतसर।
16. गीतादेवी पत्नी स्व. रामेश्वर जाति जाट निवासी वार्ड सं 6 रावतसर तहसील रावतसर।
17. अमीत कुमार
18. नरेश कुमार
पि. स्व. रामेश्वर जाति जाट निवासी वार्ड नं. 13 जे.बी. मेडीकल एजेन्सी के पिछे रावतसर तहसील रावतसर ।
19. कृष्ण देवी पत्नी हेतराम पुत्र हिराराम सहारण पुत्री अन्नाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील रावतसर।
20. सावित्रि पत्नी भागमल पुत्र हिराराम सहारण पुत्री अन्नाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील रावतसर।
21. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व तहसीलदार तहसील रावतसर।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इंतकाल सं. 33 दिनांक
25.01.1988 को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः— श्री मदनमोहन जोशी, अधिवक्ता, अपीलांट
श्री राजपाल झोरड व मांगीलाल, अधिवक्ता रेस्पो.

निर्णय **दिनांकः— 08.05.2018**

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः—

1. यह कि अपीलाधीन आदेश इंतकाल सं. 33 स्वीकृति आदेश दिनांक 25.01.88 रोही मौजा चक 8 एएम तहसील रावतसर बअदालत तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा गैर कानूनी ढंग से पारित होने से अपास्तनीय है।
2. यह कि स्व. पन्नाराम के 9 वारिस हुये जिनमें पारादेवी पत्नी अन्नाराम फौत हो चुकी है तथा उसका पुत्र देवीलाल व रूपाराम, रामेश्वर, मोहनलाल फौत हो चुके है तथा देवीलाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

के जीवनकाल में उसकी पत्नी जीवनी देवी उसको छोडकर चली गई क्योंकि जीवनी देवी से कोई संतान उत्पन्न नही है तथा देवीलाल उस समय बीमारी से ग्रस्त था। पंचायत व रिवाज के अनुसार देवीलाल को जीवनी देवी ने तलाक दे दिया था। देवीलाल ने दुसरा विवाह नही किया देवीलाल के रिश्तें में भतीजा धर्मपाल के साथ रहने लगा तथा देवीलाल की सेवा चाकरी की तथा देवीलाल के साथ रहने लगा जिस पर देवीलाल ने अपने भतीजे धर्मपाल को दिनांक 18.03.1985 को अपीलांट के माता व पिता स्वतंत्र सहमति से अर्थात प्राकृतिक पिता काशीराम व माता गुडडी देवी की सहमति व स्वैच्छा से गोद ले लिया तथा अपना दत्तक पुत्र मान लिया उसी दिन गोदनामा रोबरू गवहान बालाराम पुत्र हिराराम जाति जाट निवासी मुन्शरी व मुखराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर के समक्ष नोटेरी पब्लिक से गोदनामा तस्दीक करवा लिया। उस समय अपीलांट को गोद लेने के समय अपीलांट की उम्र करीब 10 वर्ष की थी। स्व. देवीलाल की उम्र 38 वर्ष थी स्व. देवीलाल ने अपीलांट को गोद लेते व लेने के बाद गोद की समस्त रस्में, रिवाज हिन्दु धर्म के अनुसार निभाई गई। तथा अपीलांट को उसके पिता धर्मपाल ने अपना पुत्र होना स्वीकार किया तथा गोद में बिठाया व अपीलांट के प्राकृतिक माता पिता ने अपीलांट को गोद देने की सहमति जताई तथा अपनी चल व अचल सम्पति में अपीलांट को जायज वारिसा व मालिक माना व अन्य किसी को कोई हक व हिस्सा नही माना। इसका इन्द्राज भी स्व. देवीलाल ने अपने खोलानामा में दिया इस प्रकार अपीलांट देवीलाल की समस्त चल व अचल सम्पति में अकेला वारिस व मालिक हुआ।

3. यह कि रोही मौजा तहसील रावतसर चक नं0 8 एएम के प.न. 189/44 कुल 2.5300 है0 व 189/45 की 6.3250 है0 भूमि का इंतकाल गैर कानूनी ढंग से रेस्पो. सं. 1 के नाम स्वीकृत कर दिया। मातहत अदालत ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया। रेस्पो. सं. 1 मृतक देवीलाल के जीवनकाल में ही तलाक देकर अन्यत्र चली गई थी इसलिए अपीलांट 1/9 हिस्सा का अकेला खातेदार है।

4. यह कि चक नं. 7 ए.एम. का इंतकाल सं. 18 दिनांक 26.12.1988 को तस्दीक किया उसमें पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.09.1987 को नोट लगाया कि देवीलाल अपीलांट के पक्ष में खोलानामा व अन्य चकों की भूमि के इंतकाल दर्ज किये गये केवल चक नं. 7 ए.एम. के इंतकाल पर ही नोट लगाया जिसमें स्पष्ट था कि मातहत अदालत को अपीलांट देवीलाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

का खोलायत पुत्र होने की जानकारी थी। उसके बाबजुद भी मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी बातों को नजर अंदाज किया है।

5. यह कि अपीलांट के अलावा मृतक देवीलाल पुत्र अन्नाराम के कोई संतान नही थी। अपीलांट ही देवीलाल का खोलायत पुत्र है तथा खोलानाम दिनांक 18.03.1985 में देवीलाल द्वारा यह स्पष्ट रूप से दर्ज करवाया था कि मेरी कुल जायदाद में सिवाय मेरे खोलायत पुत्र धर्मपाल के अलावा अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नही होगा। इसके अतिरिक्त समस्त क्रियाक्रम सेवा, सुश्रुषा एक पुत्र की भांती अपीलांट ने अपने मृतक पिता देवीलाल की थी। हिन्दु दतक एवं भरण पोषण अधिनियम सन् 1956 की धारा 12 के अनुसार अपीलांट के समस्त अधिकार वाद भूमि में प्राप्त हो गये थे। तथा देवीलाल पुत्र अन्नाराम की मृत्यु के बाद से आज तक वाद भूमि का कब्जा काश्त अपीलांट के पक्ष में रहा है। मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर गैर कानूनी ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

6. यह कि मातहत अदालत ने गलत तौर से शपथ पत्र के आधार पर वारिस प्रमाण पत्र जारी करवा कर भूमि अकेले के नाम जारी करवा ली। मातहत अदालत ने दस्तावेजों की जांच की ना ही सूचना एवं नोटिस दिया। अपीलाधीन इंतकाल पौशीदा तौर पर छुपाकर किया गया है। समस्त कार्यवाही विधि के विपरित है। खोलायत पुत्र के रहते तलाकशुदा पत्नी के पक्ष में इंतकाल करने का मातहत अदालत को कोई अधिकार नही है। इसलिए अपीलाधीन इंतकाल अपास्तनीय है।

7. यह कि पारी देवी पत्नी अन्नाराम के फौत होने के बाद अपीलांट वाद भूमि में 1/8 भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया। अपीलाधीन इंतकाल की जानकारी अपीलांट को नही थी पटवारी हल्का के पास जाने से इस तथ्य की जानकारी हुई। पटवारी ने कहा कि जमाबन्दी नकल ले जाओं इंतकाल तुडवाकर जमीन तुम्हारे नाम लगा देंगे। जानकारी होने पर अभिभाषक से मिला व जमाबन्दी आदि की नकल प्राप्त कर के अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट व गरीब व ग्रामीण व अनपढ व्यक्ति है जिसे कानूनी की जानकारी नही। अपीलाधीन इंतकाल कानून विरूद्ध है जिस पर मियाद आदि लागु नही होती। विधि विरूद्ध आदेश कभी भी अपास्त किया जा सकता है फिर भी दफा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

8. यह कि अपीलांट व्यथित पक्षकार है व मृतक देवीलाल का खोलायत पुत्र है। अपीलाधीन इंतकाल में अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया। इसलिए वह पक्षकार नही था। अब बतौर तृतीय पक्षकार खोलायत पुत्र होने से दफा 96 सीपीसी के तहत न्यायालय की अनुमति से यह अपील प्रस्तुत कर रहा है।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल सं. 33 दिनांक 25.01.1988 चक 8 एएम को खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित बहस हेतु नियत दिनांक 04.05.2018 को वकील रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो. जीवनी ने फर्जी व नुमाईशी खोले को सक्षम सिविल न्यायालय में निरस्त करवाने बाबत वाद प्रस्तुत कर रखा है इसलिए सिविल न्यायालय के निर्णय तक अपील की कार्यवाही स्थगित की जावे तथा यह भी निवेदन किया कि अपीलांट के पक्ष में खोला है वह फर्जी व नुमाईशी है जिसको निरस्त करवाने के लिए वाद प्रस्तुत कर दिया है।

वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पर एतराज करते हुए निवेदन किया कि प्रथम तो सिविल न्यायालय में जो वाद प्रस्तुत किया है वह अपील प्रस्तुत होने के बाद में पेश किया गया है। ना ही वाद में किसी प्रकार का कोई स्थगन है ना ही सिविल न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को बाधित किया गया है। बहस के समय बिना किसी स्थगन आदेश के अपील की कार्यवाही को बाधित किया जाना न्याय संगत नही है फिर भी अगर सिविल न्यायालय से कोई आदेश होगा तो उक्त आदेशानुसार कार्यवाही हो सकेगी। अतः प्रस्तुत अपील में अंतिम बहस सुनी जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

यह सही है कि सिविल न्यायालय द्वारा इस न्यायालय की कार्यवाही को रोकने के कोई आदेश नही दिये गये है। सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत हो चुका है तो इससे इस न्यायालय की कार्यवाही पर कोई असर नही है ना ही कोई स्थगन आदेश है। अतः प्रार्थना पत्र रेस्पो. 10 सीपीसी स्वीकार योग्य नही है खारिज किया जाता है। अपील की मूल बहस हेतु रेस्पो. के अधिवक्ता को निर्देशित किया गया परन्तु रेस्पो. के अधिवक्ता केवल मात्र इतनी बहस करके चले गये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपीला मिमो के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि इंतकाल में दर्ज विवादित भूमि अन्नाराम पुत्र जीवनराम की आराजी काश्त पूर्व की भूमि थी। पन्नाराम के फौत होने पर उक्त भूमि का इंतकाल विरासतन दर्ज किया गया था। जबकि अपीलांट अन्नाराम के पुत्र देवीलाल का खोलायत पुत्र था। इसलिए अन्नाराम के पुत्र देवीलाल के हिस्से की भूमि समस्त धर्मपाल अपीलांट के नाम दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी जांच के अन्य वारिसान के साथ उसका 1/9 हिस्सा दर्ज कर दिया, जबकि देवीलाल की पत्नी जीवणी देवी के जीवनकाल में ही उसको छोडकर चली गई थी क्योंकि देवीलाल के नुत्फे सी जीवणी के कोई औलाद नही हुई, देवीलाल उस समय बिमारी से ग्रस्त था। जीवणी ने देवीलाल को तलाक दे दिया था व देवीलाल ने दुसरा विवाह नही किया बल्कि अपीलांट धर्मपाल को अपने साथ रखने लगा जो देवीलाल की सेवा चाकरी करता रहा। इससे खुश होकर देवीलाल ने अपीलांट के प्राकृतिक माता-पिता की सहमति से व अपनी स्वैच्छा से गोद ले लिया व अपना दत्तक पुत्र मानकर एक गोदनाम रोबरू गवाहन के लिखवाकर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवा लिया। अपीलांट को गोद लेते समय उसकी उम्र 10 वर्ष थी व देवीलाल ने अपीलांट को गोद लेते समय गोद की समस्त रस्मो रवाज हिन्दु धर्म के अनुसार निभाते हुए अपनी गोद में बैठाया व प्राकृतिक माता पिता की सहमति प्राप्त की व गुड आदी भी बंटवाया। उसी दिन से अपीलांट देवीलाल का दत्तक पुत्र हो गया। इसलिए देवीलाल की समस्त चल व अचल सम्पति का वह अकेला वारिस है व देवीलाल की भूमि उसी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये चक 8 एएम की भूमि का इंतकाल रेस्पो. के नाम से स्वीकृत कर दिया। जबकि देवीलाल की कुल जायदाद में खोलायत पुत्र के अलावा किसी का हक व हिस्सा नही है व देवीलाल की पत्नी जीवणी उसके जीवन काल में ही छोड कर चली गई थी व पंचायत में तलाक भी लिया था। अब लालचवश भूमि प्राप्त करने के लिए अपने नाम से विरासतन अकेले के नाम से दर्ज करवा लिया। जबकि हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधि. 1956 की धारा 12 के अनुसार अपीलांट को समस्त अधिकार प्राप्त हो गये। अतः नामान्तरणकरण सं. 33 दिनांक 25.01.1988 विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अपास्त फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

हमने बहस सुनी। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलांट को देवीलाल द्वारा गोद लिया गया है जिसका गोद पत्र स्टाम्प पेपर लिखवाया जाकर गवाह व धर्मपाल के पिता काशीराम के हस्ताक्षर भी करवाये गयें है जिसको नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित भी किया गया है। खोलानामा रजिस्टड्र होना आवश्यक नही है। जंहा तक खोला फर्जी होने का संबंध है यह तो सिविल न्यायालय में ही तैय होगा यंहा तो केवल इंतकाल की कार्यवाही को देखा जाना है। इंतकाल एक फिशिकल कार्यवाही है इससे अधिकार तैय नही होते वे तो सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार ही होगा। तहसीलदार द्वारा दर्ज इंतकाल किया गया है वह विरासत के आधार पर किया गया है जबकि अपीलांट भी उक्त भूमि में हिस्सेदार था। इंतकाल दर्ज करने से पूर्व सभी वारिसान को सुनना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सुनवाई के केवल वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर इंतकाल दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज इंतकाल सं. 33 दिनांक 25.01.1988 चक 8 एएम अपास्त किया जाकर इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जाता है कि समस्त पक्षकारों को सुनकर पुनः विधि सम्मत इंतकाल दर्ज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रति के लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हरीतिमा

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)